रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 1999/कार्तिक 24, 1921
No. 93] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 1999/KARTIKA 24, 1921

भारतीय प्रैस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1999

भारतीय प्रैस परिषद् (प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना) विनियम, 1999

विज्ञापन/III/IV-असाधारण/149/99.—भारतीय प्रैस परिषद्, प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 26 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रैस परिषद् (प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना) विनियम, 1999 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **हकदार व्यक्ति को प्रति प्रदान किया जाना :**—ऐसी शिकायतों से संबंधित अभिलेख की एक प्रति, जो अधिनियम की धारा 14 (1) या 15(4) के अधीन भारतीय प्रैस परिषद् के समक्ष लाई गई हो, इन विनियमों द्वारा विहित रीति से, उसे प्राप्त करने वाले विधिक रूप से हकदार किसी व्यक्ति को प्रदान की जा सकेगी।

3.(i) **आदेशों की प्रति के लिए हकदार पक्षकार :**—किसी शिकायत से संबंधित कोई पक्षकार, परिषद् के अन्तिम आदेश की एक प्रति, नि:शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा; और

(ii) **अभिलेख (दस्तावेजों) की प्रति के लिए हकदार पक्षकार :**—शिकायत से संबंधित पक्षकार, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, परिषद् के समक्ष फाइल किए गए अभिलेख/दस्तावेज की प्रति या आदेश की एक अतिरिक्त प्रति, प्रति पृष्ठ 1 रुपया शुल्क, उस पृष्ठ पर शब्दों या पंक्तियों की संख्या चाहे जो हो, की दर से भुगतान करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. **किसी पर-व्यक्ति को दस्तावेज की प्रति प्रदान करना :**—ऐसे व्यक्ति को जिसका शिकायत से संबंध नहीं है अर्थात् जो पर—व्यक्ति है उसे एक रुपया प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करने पर किसी भी अभिलेख की प्रति प्रदान की जा सकेगी, परन्तु यह कि वह भारतीय प्रैस परिषद् के सचिव को उनके समाधानप्रद रूप में यह दर्शा दे कि ऐसी प्रति प्राप्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण हैं।

5. **प्रति तत्काल प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त फीस :**—"तत्काल प्रति" प्राप्त करने के लिए अर्थात् प्रतिलिपि प्राप्त करने संबंधी अन्य कार्य पर अग्रता प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त करने पर, प्रति पृष्ठ एक रुपए की दर से अतिरिक्त समान फीस प्रभारित की जाएगी।

6. **प्रतिलिपि करने की फीस के भुगतान का तरीका :—**(i) प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने से संबंधित सभी आवेदनों के साथ, वे चाहे शिकायत के पक्षकारों या पर-व्यक्तियों द्वारा किए गये हों, प्रमाणित प्रतियों की दशा में पांच रुपए तथा अत्यावश्यक प्रतियों की दशा में दस रुपए की अप्रतिदेय फीस होगी। फीस की राशि पोस्टल आर्डर के रूप में या नकद हो सकेगी।

(ii) प्रमाणित प्रतियों, चाहे वे साधारण या तत्काल प्रति के मामले हों, को प्रदान करने के लिए प्रभार्य फीस, जब पांच रुपए या दस रुपए से अधिक हो तो आवेदक द्वारा शेष राशि कैशियर या भारतीय प्रैस परिषद् के पास नकद राशि के रूप में, प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच, वास्तव में प्रति सौंपे जाने से पहले जमा करा दी जाएगी।

7. **प्रति के परिदान का समय :—**(i) आवेदक को प्रति तत्काल प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से यथासंभव तीन दिन के अंदर और साधारण प्रति दस दिन के अंदर दे दी जाएगी।

(ii) कोई आवेदन पत्र केवल तभी प्रभावी माना जाएगा, जब उपर्युक्त विनियम 6(i) के अनुसार आरम्भिक रकम जमा करा दी जाती है।

(iii) यदि आवेदक ऊपर उल्लिखित तारीख पर या उसके बाद छह महीने के अंदर प्रति की मांग नहीं करेगा तो तैयार की गई प्रति को नष्ट कर दिया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रतिलिपि करने के लिए जमा की गई फीस ज़ब्त कर ली जाएगी।

8. **प्रतिलिपि करने की फीस जमा करना :—**प्रतिलिपि करने की फीस प्रैस परिषद् के खाते में जमा की जाएगी।

9. **आवेदन-पत्र की विषय वस्तु :—**प्रति प्राप्त करने से संबंधित प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) मामले की संख्या

(ख) पक्षकारों के नाम

(ग) क्या मामला लम्बित है अथवा निपट गया है ?

(घ) उन दस्तावेज(ों) का/के नाम जिनकी प्रति अपेक्षित हैं।

(ङ) यदि आदेश की प्रति चाहिए तो क्या वह निजी प्रयोग के लिए चाहिए या सामान्य प्रयोग के लिए।

(च) दस्तावेज़ की प्रति प्राप्त करने के लिए अधिकारिता।

(छ) आवेदक का नाम तथा डाक का पूरा पता।

(ज) पोस्टल आर्डर नम्बर तथा राशि।

10. **प्रति का परिदान करने से पूर्व किया जाने वाला पृष्ठांकन :—**संबंधित आवेदक को प्रति का परिदान करने से पूर्व प्रत्येक प्रति पर मोहर लगाई जाएगी जिस पर निम्नलिखित बातें अंकित होंगी :—

(क) ''आवेदन-पत्र'' की क्रम संख्या

(ख) आवेदक का नाम

(ग) प्रति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख

(घ) पृष्ठों की संख्या

(ङ.) प्रतिलिपि करने के लिए वसूल की गई फीस/तत्काल अथवा साधारण

(च) प्रतिलिपि तैयार करने की तारीख

(छ) आवेदक को प्रति का परिदान करने की तारीख

11. परिषद् के सचिवालय द्वारा परिदत्त सभी प्रतियां बैठक/शिकायत शाखा के प्रभारी अधिकारी या उनकी ओर से सचिव द्वारा इस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनका सत्य प्रतिलिपि होना प्रमाणित किया जाएगा और उन पर परिषद् की मोहर भी लगी होगी। शाखा का प्रभारी अधिकारी या इस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी प्रति पर प्रत्येक परिवर्तन/संशोधन पर अपने आद्याक्षर भी करेगा।

12. प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर उपाबंध-1 में दिए गए प्ररूप में रखा जाएगा।

13. डाक प्रभार :—यदि आवेदक यह चाहता है कि उसे प्रति डाक द्वारा भेजी जाए तो उसे डाक से भेजने के लिए डाक व्यय भी भेजना चाहिए जो रजिस्ट्री तथा डाक व्यय के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

प्रेम कुमार, सचिव(भा.प्रै.प.)

उपाबंध-1

क्रम सं.	आवेदन की तारीख	पोस्टल आर्डर की राशि तथा संख्या	आवेदक का नाम	प्रतिलिपि करने के लिए जमा की गई फीस की शेष राशि तथा तारीख	प्रति के परिदान करने की तारीख	व्यक्ति के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1999

PRESS COUNCIL OF INDIA (GRANT OF CERTIFIED COPIES REGULATIONS, 1999)

Advt/III/IV/Exty/149/99.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 26 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India hereby makes the following Regulations, namely :

(1) **Title and commencement** :—(i) These regulations may be called the Press Council of India (Grant of Certified Copies) Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette.

(2) **Copy to be granted to person entitled** :—A copy of the record pertaining to the complaints brought before the Press Council of India under section 14(1) or 15(4) of the Act may be granted in the manner prescribed by these regulations to any person legally entitled to receive it.

(3) (i) **Party entitled to copy of orders** :—A party to a complaint is entitled to obtain, free of cost, a copy of final order of the Council; and

(ii) **Party entitled to copy of record (documents)** :—A party to a complaint is entitled to obtain, at any stage of the proceedings, copy of the record/document filed before the council or an extra copy of the order on payment of fee of one rupee per page, irrespective of the number of words or lines on that page.

(4) **Grant of copy of document to a stranger** :—A stranger to a complaint may be granted on payment of Re. 1 per page a copy of any document, he or she shows to the satisfaction of Secretary, Press Council of India that he or she has sufficient reason for obtaining such a copy.

(5) **Extra fee for urgent copy** :—On an application for "urgent copy", i.e., copy to take precedence over other copying work, a uniform extra fee of rupee one per page shall be charged.

(6) **Mode of payment of copying fee** :— (i) All applications for the grant of certified copies whether by parties or by strangers shall be accompanied with a non-refundable fee of rupees five in case of ordinary copy and Rs. ten in case of urgent copy in the form of Postal order or in cash.

(ii) When the fee chargeable for the grant of certified copies whether in the case of ordinary or urgent copy, is more than rupees five or Rs. Ten, the balance amount shall be deposited by the applicant in cash with the cashier or the Press Council of India between 10.30 a.m. to 4.30 p.m. before the actual delivery of the copy.

(7) **Time of delivery of copy** :— (i) Urgent copy shall be delivered to the applicant as far as possible within three days and ordinary copy within ten days from the date of submission of an application.

(ii) An application shall be treated as effective only if initial deposit as at Reg. 6 (i) above is made.

(iii) If the applicant does not claim the copy on the date mentioned above or within six months thereafter, the copy so prepared [illegible]

(8) **Credit of copying fee :**—Copying fee shall be credited to the Press Council's Account.

(9) **Cotents of application :**—Every application for supply of a copy shall contain the following particulars, namely:—

(a) Number of the case.

(b) Name of the Parties.

(c) Whether the case is pending or disposed of.

(d) The name(s) of document(s) of which copy is required.

(e) In the case of a copy of an order, whether for private or general use.

(f) Locus to obtain copy of the document.

(g) The name and full postal address of the applicant.

(h) Postal Order No. and the amount.

(10) **Endorsement to be made on the copy before delivery :**—Every copy, before its delivery to the concerned applicant, shall be stamped indicating therein :—

(a) Serial number of the 'Application'.

(b) Name of the applicant.

(c) Date of presentation of application for copy.

(d) Number of pages.

(e) Copying fee charged/urgent or ordinary.

(f) Date of preparation of copy.

(g) Date of delivery of the copy to the applicant.

(11) All copies supplied by the Secretariat of the Council shall be certified to be true copies by the officer-in-charge of the Meeting/Complaints Branch or the Officer so authorised by the Secretary on that behalf and shall also bear the seal of the Council. The Officer-in-charge of the Branch or the Officer so authorised shall also be initial every alteration on the copy.

(12) A register of applications for certified copies shall be maintained in the form as given at Annexure 1.

(13) **Postal Charges :**—If the applicant desires that the copy be sent to him by post, he/she should also send postal charges which are sufficient enough to cover the registration and postal charges.

PREM KUMAR, Secy. (PCI)

ANNEXURE-I

S.No.	Dare of application	Amount and the number of the Postal Order	Name of the applicant	Date and the balance amount of copying fee deposited	Date of delivery of the copy	Signature of the person
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.